भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1355
गुरूवार, 14 दिसंबर, 2023/23 अग्रहायण, 1945 (शक)

महिला रोजगार पर कोविड-19 का प्रभाव

1355. डा. कनिमोझी एनवीएन सोमू:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में महिलाओं के रोजगार पर कोविड-19 के प्रभाव का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि औपचारिक या अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाली, कुशल या अप्रशिक्षित, लगभग 17 मिलियन महिलाओं ने इस महामारी के दौरान रोजगार खो दिया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि घर से काम करने की संस्कृति ने महिलाओं पर अधिक बोझ डाल दिया है; और

(घ) देश में महिलाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई), वर्ष 2017-18 से, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से रोजगार और बेरोजगारी पर आंकड़े एकत्र करता है। इस सर्वेक्षण की अवधि, जुलाई से अगले वर्ष जून तक होती है। इन सर्वेक्षणों के परिणामों के अनुसार, वर्ष 2019-20 से वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु का अनुमानित महिला कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) और बेरोजगारी दर (यूआर) निम्नानुसार हैः

वर्ष	**महिला डब्ल्यूपीआर % में**
2019-20	28.7
2020-21	31.4
2021-22	31.7
2022-23	35.9

उपरोक्त आंकड़ें दर्शाते हैं कि अनुमानित महिला कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) वर्ष 2019-20 में 28.7% से बढ़कर वर्ष 2022-23 के दौरान 35.6% हो गया है, जो दर्शाता है कि देश में महिला रोजगार में वृद्धि की प्रवृत्ति है।

इसके साथ-साथ, वर्ष 2019-20 से वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित महिला बेरोजगारी दर (यूआर) निम्नानुसार हैः

वर्ष	महिला यूआर % में
2019-20	4.2
2020-21	3.5
2021-22	3.3
2022-23	2.9

यह आंकड़ें दर्शाते हैं कि वर्ष 2022-23 में महिलाओं के लिए श्रम बल संकेतक, कोविड से पहले की अवधि की तुलना में बेहतर हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के आंकडें, औपचारिक क्षेत्र के मध्यम और बड़े प्रतिष्ठानों में कम वेतन वाले कामगारों को कवर करते हैं। ईपीएफओ की सदस्यता में शुद्ध वृद्धि, रोजगार सृजन/रोजगार बाजार की औपचारिकता तथा संगठित/अर्ध-संगठित क्षेत्र के कार्यबल तक सामाजिक सुरक्षा लाभों की कवरेज, का एक संकेतक है। वर्ष 2019-20 से वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान महिला ईपीएफ अंशधारकों में शुद्ध वृद्धि इस प्रकार है:

(संख्या में)

वित्तीय वर्ष	शुद्ध पेरोल वृद्धि (महिला सदस्य)
2019-20	15,93,614
2020-21	13,98,080
2021-22	26,18,728
2022-23	28,69,688

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। भारत सरकार ने श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी और उनके रोजगार की गुणवत्ता में सुधार करने सहित देश में नियोजनीयता बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

महिला कामगारों के लिए समान अवसर तथा कार्य का अनुकूल माहौल तैयार करने हेतु श्रम कानूनों में, सुरक्षा के अनेक प्रावधान शामिल किए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में सैवैतनिक प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने और 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेच सुविधा, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि की पालियों में महिला कामगारों को अनुमति प्रदान करने आदि जैसे प्रावधान शामिल हैं।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य अवस्थाएं (ओएसएच) संहिता, 2020 में खुली खुदाई वाले कार्यों सहित भूमि से ऊपर की खदानों में महिलाओं को शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच और भूमिगत खदानों में, तकनीकी, पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय कार्यों, जहां निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं हो, सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच काम करने की अनुमति प्रदान करने के प्रावधान हैं।

वेतन संहिता, 2019 में प्रावधान हैं कि समान नियोक्ता द्वारा वेतन से संबंधित मामलों में लिंग के आधार पर कर्मचारियों के बीच किसी प्रतिष्ठान या किसी भी इकाई में किसी कर्मचारी द्वारा किए गए समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, रोजगार की स्थिति में समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य, सिवाय इसके कि जहां इस तरह के कार्य में महिलाओं का रोजगार उस समय पर लागू किसी भी कानून के तहत प्रतिबंधित अथवा निषिद्ध हो, उस स्थिति में किसी भी कर्मचारी की भर्ती करते समय लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

महिला कामगारों की नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए सरकार, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

सामूहिक रूप से इन सभी पहलों के गुणक-प्रभावों से, मध्यम से दीर्घावधि में रोजगार सृजित होने की आशा है।

*****